न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49/2018

1 मन्जू देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी संदीप जाति ब्राहमण।
2 रामोतार उम्र 65 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति पुरोहित निवासीगण ढ़ाणी मावलियो की तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अनिता उम्र 52 वर्ष पत्नी पुरूषोतम जाति पारीक निवासी ढ़ाणी मावलियों की तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये भूधारक राज.सरकार।
3 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट विरूद्व निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 25/2018 बउनवानी अनिता बनाम मन्जू देवी आदि पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार महला आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द कुल्हरी, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 05.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 25/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 10.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने कस्बा लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 192/1 बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलांट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मूल खसरा नम्बर 192 का मौके पर विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व ही हो गया तथा अलग सींव नींव मौके पर बनी हुई थी। उक्त मूल खसरा नम्बर 192 की पश्चिमी ओर की भूमि खसरा नम्बर 192/2 व पूर्वी ओर की भूमि खसरा नम्बर 192/1 है उक्त भूमि खसरा नम्बर 192/2 में से सड़क निकली हुई है जो सड़क मावलियो की ढ़ाणी से लक्ष्मणगढ़ है उक्त सड़क के दोनो ओर सटती हुई भूमि खसरा नम्बर 192/2 अपीलांट की है तथा उससे पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 192/1 रेस्पोडेंट संख्या 1 की है। मौके पर खसरा नम्बर 192 के दो टुकडे होने के कारण ही प्रथम जमाबंदी में खसरा नम्बर 192/1 व 192/2 का अंकन हुआ, किन्तु नक्शा ट्रेस में उपरोक्तानुसार अंकन होने से रह गया। अपीलांट की भूमि सड़क से सटती हुई होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1/वादिया/प्रार्थीया के मन में

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

बेईमानी आ गयी तथा इसी बेईमानी के तहत अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि को अपने कब्जे काश्त की भूमि बताकर वाद व आवेदन प्रस्तुत किये है। सड़क से सटती हुई दोनो ओर की भूमि खसरा नम्बर 192/2 रकबा 0.33 हैक्टेयर अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है जिस में से सड़क के पूर्वी ओर के हिस्से में अपीलांट्स ने अपना एक मकान बना रखा है तथा अपीलांटस की उक्त भूमि से पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि है तथा दोनो के बीच में पत्थर के बल्लियां रोपकर तारबंदी काफी अर्से पूर्व से कर रखी है। प्रार्थीया के आवेदन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का निर्माण दावा दायरी से पहले का है तथा पत्रावली पर यह भी उपलब्ध नही है कि अपीलांटस ने अदालत मातहत के किसी स्थान आदेश की अवमानना व अवहेलना करते हुए मकान बनाया है तथा न ही कोई अदालत मातहत द्वारा मौके की दावा दायरी के दिन की स्थिति मौका निरीक्षक द्वारा रिकार्ड पर ली गयी। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांटस ने निर्माण दावा दायरी के बाद किया है। किन्तु इसके बावजूद अदालत मातहत ने मनमाने ढ़ंग से निर्णय में यह आदेश दे दिया कि प्रार्थना पत्र दायर होने के बाद मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो तो उसको तत्काल हटाया जाकर पालना रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। अदालत मातहत में प्रार्थीया ने अपने आवेदन में यह सहायता नही चाही है कि अप्रार्थीगण द्वारा दावा दायरी के बाद मकान का निर्माण कर लिया है जिसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से हटाया जावें। अदालत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं प्लीडिंग से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के आवेदन एवं जवाब आवेदन का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है अपील सारहीन है खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन धारा 212 के अनुतोष में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विवादित भूमि की मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित करने का निवेदन किया था। विचारण न्यायालय द्वारा चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति तादौराने दावा बनाये रखने का स्थगन जारी कर इसके पश्चात अंकित किया है कि " साथ ही उक्त वर्णित आराजीयात में हस्तगत प्रार्थना पत्र दायर होने के बाद मौके पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो तो उसको तत्काल हटाया जाकर पालना रिपोर्ट हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। विचारण न्यायालय द्वारा यथास्थिति के उपरान्त अंकित उक्त आदेश किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नही होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अनुतोष प्रार्थी द्वारा नही चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात मौके पर किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई साक्ष्य, कथन, मौका रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में अंकित " साथ ही उक्त वर्णित आराजीयात में हस्तगत प्रार्थना पत्र दायर होने के बाद मौके पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो तो उसको तत्काल हटाया जाकर पालना रिपोर्ट हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे, को अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर